13/3/26 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण बहस डिक्री लिखा जाना है। निरन्तर निर्णय प्रकरण के निस्तारण जारी शामिल पत्रावली मिसल हुई। पत्रावली कैफियत शुदा होकर नकल के बाद होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. मोहरपाल पुत्र प्रभु उम्र 53 साल
2. भंवर पुत्र प्रभु उम्र 51 साल
3. अमरसिंह पुत्र प्रभु 49 साल
4. छोटेलाल पुत्र प्रभु उम्र 47 साल
5. अशोक पुत्र प्रभु उम्र 45 साल
6. अरून पुत्र प्रभु उम्र 3 साल
7. गीता पुत्री प्रभु उम्र 46 साल
8. सीता पुत्री प्रभु उम्र 46 साल
9. रामपति विधवा प्रभु उम्र 75 साल
10. हरि पुत्र रामजीलाल उम्र 48 साल
11. मनीराम उम्र 35 साल पुत्र रामजीलाल
12. गुड्डो पुत्री रामजीलाल उम्र 30 साल
13. भंवरो पुत्री रामजीलाल उम्र 46 साल
14. मीरा पुत्री रामजीलाल उम्र 41 साल
15. राजो पुत्री रामजीलाल उम्र 40 साल
16. निर्मा पुत्री रामजीलाल उम्र 38 साल
17. सामन्ती विधवा रामजीलाल उम्र 70 साल

समी जाति मालीयान निवासीयान 132 के.वी. के पास मैढ की हाथीघाटा करौली तहसील व जिला करौली राज0

––वादीगण

बनाम

विशम्भर दयाल पुत्र द्वारका प्रसाद उम्र 46 साल जाति ब्राह्मण निवासी पांडे का कुआ करौली तहसील व जिला करौली

––प्रतिवादी

दावा बाबत 188 आर टी एक्ट

मु.नं. 8/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अशफाक अहमद, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा 352–357–358–360–398–399–400–402–403–404–405–406–407–408–409 कुल किता 16 कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा वाके कस्बा करौली हाथीघटा मैढ की 132 के.वी. के पास करौली तहसील करौली में वादीगण के कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग में बाधा ना तो स्वंय पैदा करे ना दीगर से करावे तथा किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे ना ही दीगर से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/3/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:—8 / 25 तारीख रजु:—20.02.2025

उनवान

1. मोहरपाल पुत्र प्रभु उम्र 53 साल
2. भंवर पुत्र प्रभु उम्र 51 साल
3. अमरसिंह पुत्र प्रभु 49 साल
4. छोटेलाल पुत्र प्रभु उम्र 47 साल
5. अशोक पुत्र प्रभु उम्र 45 साल
6. अरून पुत्र प्रभु उम्र 3 साल
7. गीता पुत्री प्रभु उम्र 46 साल
8. सीता पुत्री प्रभु उम्र 46 साल
9. रामपति विधवा प्रभु उम्र 75 साल
10. हरि पुत्र रामजीलाल उम्र 48 साल
11. मनीराम उम्र 35 साल पुत्र रामजीलाल
12. गुडडो पुत्री रामजीलाल उम्र 30 साल
13. भंवरो पुत्री रामजीलाल उम्र 46 साल
14. मीरा पुत्री रामजीलाल उम्र 41 साल
15. राजो पुत्री रामजीलाल उम्र 40 साल
16. निर्मा पुत्री रामजीलाल उम्र 38 साल
17. सामन्ती विधवा रामजीलाल उम्र 70 साल

सभी जाति मालीयान निवारीयान 132 के.वी. के पास मैढ की हाथीघटा करौली तहसील व जिला करौली राज0

——वादीगण

बनाम

विशम्भर दयाल पुत्र द्वारका प्रसाद उम्र 46 साल जाति ब्राहम्ण निवासी पांडे का कुआ करौली तहसील व जिला करौली

——प्रतिवादी

दावा बाबत 188 आर टी एक्ट

—::निर्णय::— दिनांकः— 13/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात नंबरान 352—357—358—360—398—399—400—402—403—404—405—406—407—408—409 कुल किता 16 कुल रकवा 20 वीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली हाथीघटा मैढ की 132 के.वी. के पास करौली तहसील करौली स्थित है जो हमारे पिता प्रभु व रामजीलाल की जैर खते व कब्जे काश्त की रही है दोनो प्रभु व रामजीलाल फौत हो चुके है हम वादीगण नंबर 10 लगायत 17 रामजीलाल के वारिसान है। प्रभु दिनांक 3—6—2019 को फौत हो गया तथा रामजीलाल प्रभु से 15 दिन पहले फौत हो गये। प्रतिवादी का हमारी उक्त आराजीयात से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व ताल्लुक नही है। यह बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है पहले ये गधौली गावं में रहता था परन्तू अब

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पाडे का कुआ करौली में आकर बस गया है तथा मीना ईण्डेड आदमी है भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। इसका करौली के इलाके में भूमाफियाओं एवं आपराधिक किस्म के लोगो से इसके ताल्लुकात है इस कारण ये हमारी उक्त आरजीयात को हमसे छीनने पर उतारू है हमारी उक्त आराजीयात मे हम वादीगण सभी घर रिहायशी बने हुये है तथा हमारे पिताओं के समय से ही हम काश्त करते चले आ रहे है। तथा उक्त विवादित आराजी मे हम रामजीलाल के हक व हिस्से में पपीते व माला के लिये हजारे के फूल की खेती कुछ भाग में हो रही है। व फसले भी काश्त करते हैं। प्रतिवादी अपने साथ कुछ गर्जर साथी 20–25 आदमियों को लेकर दिनांक 19–9–2024 को हमारी उक्त आराजीयात पर आया तथा आते ही हमसे मॉ बहन की फौस गांलियां वकते हुये ये कहा कि प्रभु व रामजीलाल की जमीनों को खोली करो। मै अपने साथीयों के साथ प्लाटिंग करूंगा। यदि तुमसे कोई भी मेरे बीच में आया तो मेरे पास एक लंबी गैंग है दीगवार की लाश इसी जमीन में गिराकर अर्थी जला दूंगा हमने हाथ जोडकर प्रतिवादी से इस अत्याचार को ना करने हेतु कहा तो हम वादीगण से प्रतिवादी यह बोला कि यदि तुम कुछ पैसा चाहिये तो ले लो नही तो मरने को तैयार हो जाओ। मै एक दो दिन मे इस जमीन मे जे.सी.बी. व ट्रेक्टर चलवाकर इस जमीन को समतल करूगा। यदि वजह दावा हाजा पेश करना लाजिम आया है प्रतिवादी को कोई हक नही है कि वह हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर गैरकृषि कार्य करे तथा जे.सी.बी व ट्रैक्टर चलवाये। ऐसी सूरत में प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर के लिये पाबंद किया जावे योग्य है कि वह हमारी विवादित आराजी खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा कर जे.सी.बी व ट्रेक्टर इत्यादि चलाकर गैर कृषि कार्य ना करे, आबादी हेतु प्लाटिंग कार्य भी ना करे तथा हमे शांति पूर्वक कब्जा काश्त में रहने दें। प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 19–9–2024 को विनाय मुखासमत मौके पर आकर धमकी देने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर मियाद पेश है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 27.02.2026 को जबाव बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादी की एकपक्षीय साक्ष्य ली गई। वादी की मौखिक साक्ष्य में वादी मोहरपाल के बयान लेख बद्व किये गये एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी आराजी खसरा नंबर 352, 357, 358, 359, 360, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 संवत 2076–79 प्रदर्श–1 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजीयात नंबरान 352–357–358–360–398–399–400–402–403–404–405–406–407–408 –409 कुल किता 16 कुल रकवा 20 वीघा 14 विस्वा वाके कस्बा करौली हाथीघटा मैढ की 132 के.वी. के पास करौली तहसील करौली स्थित है जो हमारे पिता प्रभु व रामजीलाल की जैर खते व कब्जे काश्त की रही है दोनो प्रभु व रामजीलाल फौत हो चुके है हम वादीगण नंबर 10 लगायत 17 रामजीलाल के वारिसान है। प्रभु दिनांक 3–6–2019 को फौत हो गया तथा रामजीलाल प्रभु से 15 दिन पहले फौत हो गये। प्रतिवादी का हमारी उक्त आराजीयात से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व ताल्लुक नही है। यह बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है पहले ये गधौली गावं में रहता था परन्तू अब पाडे का कुआ करौली में आकर बस गया है तथा मीना ईण्डेड आदमी है भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। इसका करौली के इलाके में भूमाफियाओं एवं आपराधिक किस्म के लोगो से इसके ताल्लुकात है इस कारण ये हमारी उक्त आरजीयात को हमसे छीनने पर उतारू है हमारी उक्त आराजीयात मे हम वादीगण सभी घर रिहायशी बने हुये है तथा हमारे पिताओं के समय से ही हम काश्त करते चले आ रहे है। तथा उक्त विवादित आराजी मे हम रामजीलाल के हक व हिस्से में पपीते व माला के लिये हजारे के फूल की खेती कुछ भाग में हो रही है। व फसले भी काश्त करते हैं। प्रतिवादी अपने साथ कुछ गर्जर साथी 20–25 आदमियों को लेकर दिनांक 19–9–2024 को हमारी उक्त आराजीयात पर आया तथा आते ही हमसे मॉ बहन की फौस गालियां वकते हुये ये कहा कि प्रभु व रामजीलाल की जमीनों को खोली करो। मै अपने साथीयों के साथ प्लाटिंग करूंगा। यदि तुमसे कोई भी मेरे बीच में आया तो मेरे पास एक लंबी गैंग है दीगवार की लाश इसी जमीन में गिराकर अर्थी जला दूंगा हमने हाथ जोडकर प्रतिवादी से इस अत्याचार को ना करने हेतु कहा तो हम वादीगण से प्रतिवादी यह बोला कि यदि तुम

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कुछ पैसा चाहिये तो ले लो नही तो मरने को तैयार हो जाओ। मै एक दो दिन मे इस जमीन मे जे.सी.बी. व ट्रेक्टर चलवाकर इस जमीन को समतल करूगा। यदि वजह दावा हाजा पेश करना लाजिम आया है प्रतिवादी को कोई हक नही है कि वह हमारी जमीन पर जबरन कब्जा कर गैरकृषि कार्य करे तथा जे.सी.बी व ट्रेक्टर चलवाये। ऐसी सूरत में प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर के लिये पाबंद किया जावे योग्य है कि वह हमारी विवादित आराजी खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा कर जे.सी.बी व ट्रेक्टर इत्यादि चलाकर गैर कृषि कार्य ना करे, आबादी हेतु प्लाटिंग कार्य भी ना करे तथा हमे शांति पूर्वक कब्जा काश्त में रहने दें। दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी 352–357–358–360–398–399–400–402–403–404–405–406–407–408 –409 कुल किता 16 कुल रकवा 20 वीघा 14 विस्वा वाके कस्वा करौली हाथीघटा मैढ की 132 के.वी. के पास करौली तहसील करौली वादीगण के पिता प्रभु व रामजीलाल की जेर खाते व कब्जे काश्त की होना प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2076–79 से साबित है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा 352–357–358–360–398–399–400–402–403–404–405–406–407–408 –409 कुल किता 16 कुल रकवा 20 वीघा 14 विस्वा वाके कस्वा करौली हाथीघटा मैढ की 132 के.वी. के पास करौली तहसील करौली में वादीगण के कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग में बाधा ना तो स्वंय पैदा करे ना दीगर से करावे तथा किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे ना ही दीगर से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।